न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 158/12 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रूकमुद्दीन पुत्र सुल्लू जाति मेव निवासी ग्राम पलासली तहसील तिजारा जिला अलवर ।

:––– अपीलांट

बनाम

1. आसमौहम्मद
2. वलीमौहम्मद पुत्रान रहमान
3. ईसब
4. कादर
5. दीनू पुत्रान सुलतान
6. फजरूद्दीन
7. नसरूद्दीन पुत्रान सुल्लू जाति मेव निवासीयान ग्राम पलासली तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:––––– रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, तिजारा दिनांक 6.8.2012

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :– श्री रातीशचन्द जैन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

दिनांक 30.5.2017

निर्णय

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 1/427/02 में पारित निर्णय दिनांक 6.8.2012 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज एवं हुकमइम्तनाई दवामी खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 193/5.15, 194/1.13, जिनके हाल नम्बर 526/0.9, 529/0.10, 530/1.7, 533/1.7, 534/1.7, 535/0.16, 536/0.16, 537/0.16 बने है, वाके ग्राम पलासली तहसील तिजारा रहमान, सुल्मान व सुल्लू पुत्रान अभयसिंह तीनों भाईयों की बहिस्से बराबर बराबर खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी थी । यह इन्द्राज सम्वत 2015 में भी हो रहा है । सम्वत 2015 के बाद सम्वत 2019 व 2029 की जमाबन्दी बनी, उनमें वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 के पिता सुल्लू का नाम कलमजन कर दिया । सुल्लू के देहान्त के बाद वादी और प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 काबिज हो गये । रहमान फौत हो चुका है, जिसके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 है । कोई मौखिक बटवारा नहीं हुआ है । अतः निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया है कि विवादित भूमि पर से गलत प्रकार से सम्वत 2019 व 2029 में अपीलांट के पिता का नाम हजफ कर दिया गया । इसके बाद की सभी जमाबंदियों में भी सम्वत 2019, 2029 के इन्द्राज रिपीट हो रहे हैं । गलत इन्द्राज की आड में रेस्पो0 भूमि को खुर्दबुर्द करना चाहते हैं । मैंने दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद पत्र को साबित किया है । प्रतिवादीगण जवाब दावा पेश करने के बाद उपस्थित नहीं हुये । उन्होंने कोई साक्ष्य पेश नहीं की । इसका तात्पर्य यही है कि उन्होंने वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि तन्हा रहमान व सुलतान की खातेदारी की थी । सम्वत 2015 में ही उन्होंने आराजी का बाहमी तौर पर बंटवारा कर लिया था, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 194 रहमान के एवं खसरा नम्बर 193 सुलतान के हिस्से में आया । इसका अंकन सम्वत 2015 व 2019 की जमाबन्दी में हो गया । वादी व प्रतिवादी संख्या 4, 5 के पिता सुल्लू का आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । सम्वत 2029 में सम्वत 2019 के अनुसार ही इन्द्राज किये गये हैं, जो सही है । अगर सम्वत 2015 में कहीं पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

इनका नाम आया हो तो वह फर्जी है, राजस्व कर्मचारियों से मिल्लत की गई है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । वादी अपीलांट द्वारा अपने वाद पत्र में जो सजरा पेश किया गया है, उसे प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में स्वीकार किया है । इस सजरा के अनुसार अभयसिंह के तीन पुत्र रहमान, सुलतान व सुल्लू हुये । साबिक जमाबन्दी सम्वत 1999 एवं 2011 (खेवट खतौनी) में साबिक खसरा नम्बर 193 व 194 पर काश्त अभयसिंह राहिन का अंकन किया हुआ है । इन राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से हमारे समक्ष यह प्रश्न उभरकर सामने आता है कि जब इन सम्वतों में अभयसिंह का नाम दर्ज था तो फिर विरासत का इन्तकाल उसके तीनों लडकों के नाम दर्ज क्यों नहीं हुआ, क्यों सुल्लू का नाम छोड दिया गया । कानूनन विरासत तीनों लडकों में बहिस्से बराबर दर्ज होनी चाहिये थी । इन सभी बिन्दूओं पर जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री दिनांक 6.8.2012 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस निर्णय के पैरा नम्बर 05 में अंकित तथ्यों पर वांछित जांच कर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वास्ते सुनवाई दिनांक 3.7.2017 को तहत न्यायालय में उपस्थित हों ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner